डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 04/2024

अनवान : —

1. पवन कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति महाजन आयु 38 वर्ष निवासी घेउ तहसील भादरा हाल चाहरवाला तहसील चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभूराम गोदारा व वकील प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 223/28 के खसरा संख्या 264, 265, 31/1, 31/3, 31/4, 454, 478, 479 की कुल 25.1530है0 बारानी खातेदारी में गौरीशंकर पुत्र सुरजा के नाम 407/25153 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 309/29 के खसरा संख्या 255, 256/1, 257/1, 258/1, 259, 669, 670 की कुल 21.0310है0 बारानी खातेदारी में गौरीशंकर पुत्र सुरजा के नाम 197/21031 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गौरीशंकर पुत्र सुरजा के स्थान पर शंकरलाल पुत्र सुरजा जाति महाजन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गौरीशंकर पुत्र सुरजा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम गौरीशंकर पुत्र सुरजा ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:50:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 04/2024

उनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति महाजन आयु 38 वर्ष निवासी घेउ तहसील भादरा हाल चाहरवाला तहसील चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बावत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री प्रभूराम गोदारा वादी
श्री राज पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 15/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 223/28 के खसरा संख्या 264, 265, 31/1, 31/3, 31/4, 454, 478, 479 की कुल 25.1530है0 इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 309/29 के खसरा संख्या 255, 256/1, 257/1, 258/1, 259, 669, 670 की कुल 21.0310है0 इसी प्रकार रोही मौजा चक घेउ के खाता संख्या 33/12 के खसरा संख्या 453 की 6.7280है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता शंकरलाल के नाम क्रमशः 407/25153 हिस्सा, 197/21031 हिस्सा व 9/28 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें खाता संख्या 223/28 व खाता संख्या 309/29 में प्रार्थी के पिता का नाम गौरीशंकर पुत्र सुरजा दर्ज है। जबकि खाता संख्या 33/12 में सही नाम शंकरलाल पुत्र सुरजा दर्ज है।

प्रार्थी के पिता के स्वयं के दस्तावेजों आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, प्रार्थी के के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच प्रमाण पत्र पंचायत घेउ व चाहरवाला की तस्दीक में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम शंकरलाल दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के वाद तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:50:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। जिसमें बहस में प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 223/28 के खसरा संख्या 264, 265, 31/1, 31/3, 31/4, 454, 478, 479 की कुल 25.1530है0 इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 309/29 के खसरा संख्या 255, 256/1, 257/1, 258/1, 259, 669, 670 की कुल 21.0310है0 इसी प्रकार रोही मौजा चक घेउ के खाता संख्या 33/12 के खसरा संख्या 453 की 6.7280है0 बारानी कृषि भूमि

राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता शंकरलाल के नाम क्रमशः 407/25153 हिस्सा, 197/21031 हिस्सा व 9/28 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें खाता संख्या 223/28 व खाता संख्या 309/29 में प्रार्थी के पिता का नाम गौरीशंकर पुत्र सुरजा दर्ज है। जबकि खाता संख्या 33/12 में सही नाम शंकरलाल पुत्र सुरजा दर्ज है। प्रार्थी के पिता के स्वयं के दस्तावेजों आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, प्रार्थी के के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच प्रमाण पत्र पंचायत घेउ व चाहरवाला की तस्दीक में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम शंकरलाल दर्ज है। अतः प्रार्थी का के पिता का नाम गौरींशंकर के स्थान पर शंकरलाल पुत्र सुरजा जाति महाजन की घोषणा की जावे। ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है वे रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 223/28 के खसरा संख्या 264, 265, 31/1, 31/3, 31/4, 454, 478, 479 की कुल 25.1530है० कृषि भूमि में गौरीशंकर के नाम 407/25153 हिस्सा, इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 309/29 के खसरा संख्या 255, 256/1, 257/1, 258/1, 259, 669, 670 की कुल 21.0310है० कृषि भूमि में गौरीशंकर के नाम 197/21031 हिस्सा दर्ज है उक्त दोनों खातों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गौरीशंकर के स्थान पर शंकरलाल पुत्र सुरजा जाति महाजन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि गौरीशंकर पुत्र सुरजा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम गौरीशंकर पुत्र सुरजा ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ..15/2/25.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:50:05 IST
Reason: SelfAttested